न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 87 / 20 निर्णय दिनांकः 30–11–2021
(जीसीएमएस संख्या 2020 / 00088)

1. दौलतराम पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति सोनी निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. बलराम पुत्र बूंटीराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. दलीपकुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान सरकार।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 20–03–2020
तहसीलदार टिब्बी

उपस्थितः–

1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार टिब्बी के आदेश दिनांक 20–03–2020 जिसके माध्यम से अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के आदेशों की अवहेलना करते हुए व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 20–12–2019 को वादग्रस्त भूमि पर स्वीकृत खाला के संबंध में जारी इंतकाल संख्या 410 व 411 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वे प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सिंचाई विभाग द्वारा खाला स्वीकृति / निरस्तीकरण के आदेशों की पालना भू–प्रबन्ध अधिकारी के माध्यम से करवाने के प्रावधानों के दृष्टिगत् पुनः

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तहसीलदार टिब्बी द्वारा उक्त आदशों की पालना न करते हुए प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–03–2020 को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई है।

3. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील के वर्णित कथन .को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 7 एमजेडडब्ल्यू के किला नम्बर 1, 2, 3, 4 व 5 में पूर्व में खाला दर्ज था। जोकि मौके पर चालू नहीं होकर बन्द था। जिसके कारण से आगे के काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सिंचाई विभाग जिसके द्वारा काश्तकारों को उनकी जोत के लिये सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है, के द्वारा किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में से उक्त चक के आगे के काश्तकारों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु खाला स्वीकृत किया गया तथा संबंधित नायब तहसीलदार, तलवाड़ा झील द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 410 व 411 दिनांक 04–09–2017 स्वीकृत करते हुए उक्त खालें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया गया। उक्त आदेश की अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20–12–2019 को आदेश पारित करते हुए खाला स्वीकृति व नामान्तरणकरण संख्या 410 व 411 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार टिब्बी को प्रतिप्रेषित किया गया था कि वे प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सिंचाई विभाग द्वारा खाला स्वीकृति/निरस्तीकरण के आदेशों की पालना भू–प्रबन्ध अधिकारी के माध्यम से करवाने के प्रावधानों के दृष्टिगत् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उन्होनें आगे कथन किया कि तहसीलदार टिब्बी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित रिमाण्ड आदेशों की पालना में न तो प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया ना ही खाला स्वीकृति के संबंध में तथ्य की जॉच की गई। प्रकरण में नायब तहसीलदार, उपतहसील तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि श्रीमान् न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के आदेश की पालना में उचित कार्यवाही अमल में लाई जावे। ऐसीस्थिति में संबंधित तहसीलदार को चाहिए था कि उच्चतर न्यायालय द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश की पालना करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित यिका जाता, परन्तु संबंधित तहसीलदार द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के यह अभिलिखित किया गया कि श्रीमान् के मौखिक आदेशानुसार इंतकाल दर्ज करते हुए पूर्व की स्थिति को बहाल कर दिया गया। जबकि ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ना ही अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

20–12–2019 की यह मंशा ही थी कि पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुए इंतकाल दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से तानाशाही तरीके से आदेश की पालना नहीं करते हुए खाला स्वीकृति के इंतकाल को निरस्त करते हुए पूर्व की स्थिति का इंतकाल दर्ज कर दिया गया।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 20–03–2020 पारित करने से पूर्व सिंचाई विभाग व अन्य प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया नाही प्रकरण की रिमाण्ड आदेशों की पालना में किसी प्रकार की कोई जॉच ही की गई है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भी ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसकी मंशा यह हो की पूर्व की स्थिति का इंतकाल दर्ज किया जावे। अदालत मातहत द्वारा स्वमेव (सुओ–मोटो) आदेश पारित करते हुए पूर्व की स्थिति का इंतकाल दर्ज कर दिया गया। जिसका की उन्हें कतई अधिकार प्राप्त नहीं था। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील विधि विरूद्व तरीके से पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया वे अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है क्योंकि पूर्व में किला नम्बर 1, 2, 3, 4 व 5 में खाला बन्द होने के कारण किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में से खाला स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश से अपीलांट्स व अन्य काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यदि अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलांट्स व अन्य काश्तकारों को उपलब्ध सिंचाई की सुविधा बन्द हो गई तो अपीलांट्स को क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट्स द्वारा बतौर व्यथित पक्षकार अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है व अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। लिहाजा अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि चूंकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसीस्थिति में अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम तब प्राप्त हुई जब हल्का पटवारी द्वारा यह कथन किया गया कि पूर्व में दर्ज इंतकाल को अपीलाधीन आदेश की पालना में निरस्त कर दिया गया है। तब ईल्म के बाद अपीलाधीन आदेश की नकल व अन्य दस्तावेजात् प्राप्त होने पर अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा धारा 96 व मियांद के संबंध में अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1981 पेज 180, आरआरडी 1984 पेज 261, आरआरडी 1981 पेज 204, आरआरडी 1999 पेज 98, आरआरडी 1993 पेज 232, आरआरडी 1993 पेज 44, आरआरडी 1977 पेज 615 व आरआरडी 2008 पेज 755 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 20-12-2019 को आदेश पारित करते हुए यह अभिलिखित किया गया था कि प्रश्नगत् इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा तहसीलदार टिब्बी के नाम जारी पत्र के परिप्रेक्ष्य में दर्ज किये गये है जबकि विधि अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा खाला स्वीकृति/निरस्तीकरण के आदेशों की पालना भू-प्रबन्ध अधिकारी के माध्यम से करवाये जाने के प्रावधान है। अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा इस ऑबजरवेशन के आधार पर वादग्रस्त भूमि अर्थात खाला स्वीकृति के बाबत् दर्ज इंतकाल संख्या 410 व 411 को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये जाने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र मय निर्णय की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के आदेशों की पालना में उचित कार्यवाही अमल में लाई जावे। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इंतकाल संख्या 410 व 411 को निरस्त करते हुए पूर्व की स्थिति को बहाल किया गया है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आगे कथन किया गया कि चूंकि अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 20-12-2019 के माध्यम से सिंचाई विभाग के पत्र के अनुसरण में स्वीकृत खाला के संबंध में दर्ज इंतकाल संख्या 410 व 411 को निरस्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में विधि का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि आराजी जैर के संबंध में पूर्व की स्थिति को बहाल किया जावे। तहसीलदार टिब्बी द्वारा विधि सम्मत तरीके से व नियमानुसार अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के आदेशों की पालना करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुए दिनांक 20-03-2020 को इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। अपीलांट्स उक्त आदेश से किस प्रकार व्यथित है, साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के बजाय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, ताकि रिमाण्ड आदेशों की पालना सुनिश्चित हो सके। अपीलांट्स अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने से तथ्य को बल प्राप्त होता है कि वे वादग्रस्त भूमि के बाबत् जारी अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं करवाना चाहते है। तहसीलदार टिब्बी द्वारा विधि सम्मत तरीके से आदेश जैर अपील पारित करते हुए पूर्व की स्थिति के संबंध में इंतकाल दर्ज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 20–12–2019 जिसके माध्यम से नायब तहसीलदार, तलवाड़ा झील द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 410 व 411 दिनांक 04–09–2017 को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये है, की पालना में तसहीलदार टिब्बी द्वारा दिनांक 20–03–2020 को प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मौखिक आदेशों के अनुसरण में इंतकाल दर्ज करते हुए पूर्व की स्थिति को बहाल किया गया है, उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई है।

प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी अर्थात अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त है अथवा नहीं? का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में सिंचाई विभाग द्वारा किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में से खाला स्वीकृत किया गया है। उक्त खाला स्वीकृति से अपीलांट्स व अन्य काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। अपीलाधीन आदेश के अनुसरण में यदि मौके पर खाला बन्द किया जाता है व अपीलांट्स व अन्य काश्तकारों को उपलब्ध सिंचाई की सुविधा बन्द की जाने की स्थिति में अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार है।

लिहाजा अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स अर्थात व्यथित पक्षकारों को पक्षकार स्थापित किये बिना व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने के जो कारण मियांद प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये गये है, वे संतोषजनक कारण पाये जाने से अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वार दिनांक 20–12–2019 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, टिब्बी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सिंचाई विभाग द्वारा खाला स्वीकृति/निरस्तीकरण के आदेशों की पालना भू–प्रबन्ध अधिकारी के माध्यम से करवाने जाने के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा नायब तहसीलदार, उपतहसील तलवाड़ा झील के समक्ष एक प्रार्थना पत्र मय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–12–2019 की प्रति प्रस्तुत करते हुए आदेश की पालना में उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही यह साबित है कि अदालत मातहत द्वारा प्रभावित पक्षकारों की उपस्थिति में खाला स्वीकृति/निरस्तीकरण के संबंध में भू-प्रबन्ध अधिकारी के माध्यम से करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश की पालना में अदालत मातहत द्वारा संबंधित विभाग यथा सिंचाई विभाग अथवा अन्य प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उल्लेखनीय यह भी है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी पूर्व की स्थिति को बहाल करने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया ना ही उनके द्वारा ऐसी कोई मांग प्रार्थना पत्र के माध्यम से की गई थी कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए इंतकाल दर्ज किया जावे। अदालत मातहत द्वारा सूओ मोटो कार्यवाही करते हुए पूर्व के इंतकाल को मौखिक आदेश की पालना में पूर्व की स्थिति के संबंध में नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। जोकि स्पष्ट रूप रिमाण्ड आदेशों की अवहेहना की श्रेणी में आता है।

इस संबंध में हमारा यह भी अभिमत है कि न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2019 एक न्यायिक आदेश था, ना की कोई प्रशासनिक आदेश की श्रेणी का आदेश था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे उच्चतर न्यायालय द्वारा पारित रिमाण्ड आदशों की अक्षरशः पालना करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम कानूनी बिन्दुओं की अवहेलना करते हुए मौखिक आदेश के अनुसरण में नामान्तरणकरण दर्ज करने के आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना करते हुए पारित किये गये मौखिक अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-03-2020 की पुष्टि किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

8. अतः उक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है व तहसीलदार, टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-03-2020 निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 30-11-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर